न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 135/2019

अनवान :

1. रामकुमार पुत्र श्री दूलीचन्द जाति खाती निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. दूलीचन्द पुत्र जीवणराम जाति खाती निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुनील कुमार पुत्र दूलीचन्द जाति खाती निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : वादी

निर्णय **दिनांक :** 31-01-202

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जटान की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 के खाता सं0 146/146 के खसरा सं0 164/3 की 5.204 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 दुलीचन्द के नाम खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 दुलीचन्द को वादी के दादा जीवणराम से विरासतन प्राप्त हुई है जो गांव जटान की खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 38 के खाता सं0 35 से साफ रोशन है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है जो वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा कनूनन बनता है तथा वाद भूमिं में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हक व हिस्सा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कियां जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 3 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी रामकुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम जटान के खाता सं0 146/146 सम्वत् 2073 से 76 की प्रदर्श 1, फोटो प्रतिं प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 दुलीचन्द को वादी के दादा जीवणराम से विरासतन प्राप्त हुई है इसलिए वाद भूमि में वादी का जन्म

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

से हक व हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम जटान के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 दुलीचन्द को वादी के दादा जीवणराम से विरासतन प्राप्त हुई है, इसलिए वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा जीवण वल्द चिमना के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी के पिता को विरास्तन प्राप्त होना व वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में दुलीचन्द के वारिसान में पत्नि कैलाशी व दो पुत्र रामकुमार एवं सुनील कुमार होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जटान की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 के खाता सं0 146/146 के खसरा सं0 164/3 की 5.204 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 दुलीचन्द के नाम खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 दूलीचन्द के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/3–1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

(मुकेश कुमार गौड़)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 135/2019

अनवान :

1. रामकुमार पुत्र श्री दूलीचन्द जाति खाती निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. दूलीचन्द पुत्र जीवणराम जाति खाती निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुनील कुंमार पुंत्र दूलीचन्द जाति खाती निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचन्द वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जटान की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 के खाता सं0 146/146 के खसरा सं0 164/3 की 5.204 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 दुलीचन्द के नाम खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 दूलीचन्द के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/3–1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.19 15:53:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: